

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज, जयपुर

जी-3 राजमहल राजीवगंधी एरिया, मिडिल लाईन्स फाउन्डेशन सी-एनजी, जयपुर।

टेलीफोन :- 0141-2222403, ई-मेल - dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट :- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एक 55()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा-RUIRP-II/18/37387-578 दिनांक :- 11/5/18

RUIRP-II

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :- बजट घोषणा वर्ष 2018-19 (RUIRP- II) के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को नगरीय निकायों द्वारा गुगल ड्राईव पर बने फोल्डर पर अपलोड एवं अपडेट करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अम्बेडकर भवन, आधुनिक शौचालय एवं रमरान/कन्निस्टान के विकास कार्य एवं सड़को-नालियों की Maintenance एवं Renewal आदि के कार्यों की प्रगति हेतु RUIRP- II में गठित प्रकोष्ठ द्वारा उपरोक्त कार्यों की प्रगति के लिये नई ई-मेल आईडी (budget2018dlb@gmail.com) बनाई गई है। जिस पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2018-19 से सम्बन्धित समस्त सूचनायें संधारित की जानी है।

उक्त ई-मेल आईडी की गुगल ड्राईव पर उक्त कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर अपलोड एवं अपडेट करने हेतु सम्बन्धित नगरीय निकायों की अधिकारिक ई-मेल आईडी पर फोल्डर Share किया गया है, उक्त कार्य को समझने के लिए संलग्न Flowchart बनाया गया है।

अतः समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है, कि संलग्न फ्लोचार्ट अनुसार बजट घोषणा वर्ष 2018-19 (RUIRP- II) के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मय फोटोग्राफ अपलोड एवं अपडेट किये जाने की कार्यवाही 3 दिवस में प्रारम्भ किया जाकर, प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- Flowchart.

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :- 11/5/18

क्रमांक :- एक 55()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/18/37579-649

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित नगरीय निकायों को सूचना अपलोड एवं अपडेट करने हेतु निर्देशित करावें।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, निदेशालय।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, समस्त नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त सूचना अपलोड एवं अपडेट करवाना सुनिश्चित करें।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता 11/5/18